न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्रीमती कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 129 / 2022

वादी बनाम	प्रतिवादीगण
1. परमेश्वर पुत्र महावीर प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी— बिजपुर तहसील सोजत हाल मुकमा पालिवालों का बास पाली जिला पाली।	1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि— धारक) सोजत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट 1955 सहपठित धारा 136 एल0आर0 एक्ट

उपस्थितिः—

1. श्री सोहनलाल जोशी अधिवक्ता वादी उपस्थित।
2. तहसीलदार, सोजत प्रतिवादी स्वयं उपस्थित।

दिनांक 27/05/24

—: निर्णय :—

अधिवक्ता मय वादी ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956 के तहत विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम बिजपुर पटवार हल्का शिवपुरा तहसील सोजत में वर्तमान खाता संख्या नया 60 पुराना खाता संख्या 63 खसरा संख्या 68 कुल खसरा 01 कुल रकबा 1.7600 हैक्टर की कृषि भूमि वादी की पैतृक खातेदारी हक हकूक कब्जा पूर्ण हिस्सा काश्त एवं उपयोग व उपभोग की स्थित है। आराजी वादी के पिता महावीर द्वारा जब आराजी नाबालिक था तो आराजी को परमा नाम से पुकारा जाता था उस समय आराजी के पिता ने प्रेम नारायण पुत्र महावीर प्रसाद जाति ब्रहमण साकिनदेह खातेदार पूर्ण हिस्सा के नाम से रजिस्ट्री संख्या 86 दिनांक 28.05.1990 कुल स्टाम्प कीमत 1930 पर टंकन द्वारा मुद्रित कर खरीददारी की रजिस्टर्ड करवाकर कृषि भूमि को खरीदी गई, उस समय से वादी का नाम प्रेमनारायण करवाकर कृषि भूमि को खरीदी गई, उस समय से वादी का नाम प्रेम नाराण अंकित किया गया जबकि वादी का सही नाम परमेश्वर है। वादी के अन्य सभी दस्तावेज शैक्षिक रिकॉर्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक खाता डायरी वांछित व अन्य दस्तावेजों में भी वादी का नाम परमेश्वर पुत्र महावीर प्रसाद अंकित है। अब राजस्व जमाबंदी में परमेश्वर पुत्र महावीर प्रसाद दर्ज किया जाना कानूनी सही आवश्यक एवं न्याय संगत है। खातेदारी कृषि भूमि पर ऋण लेने हेतु पटवार हल्का शिवपुरा में राजस्व रेकर्ड की नकल प्राप्त करने पर वादी को स्वयं के नाम की त्रुटि की जानकारी प्राप्त हुई। प्रतिवादी संख्या एक को राजस्व रेकर्ड में प्रेमनारायण रजिस्ट्री के अनुसार सही दर्ज किया तथा वादी का पूर्ण हिस्सा भी सही दर्शाया गया परंतु वादी का नाम वांछित रेकर्ड में परमेश्वर पुत्र महावीर प्रसाद है इसलिए खाता संख्या नया 60 खाता संख्या पुराना 63 खसरा संख्या 68 क्षेत्रफल 1.7600 में परमेश्वर पुत्र महावीर प्रसाद दर्शाना आवश्यक है क्योंकि परमेश्वर पुत्र महावीर नाम दर्शाने पर वादी को राज्य एवं केन्द्र सरकार कृषि संबंधित योजनाओं से परिलाभ मिल पाए।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

Scanned with CamScanner

अतः वादी मय अधिवक्ता ने यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा शिवपुरा तहसील सोजत में वर्तमान खाता संख्या नया 60 पुराना खाता संख्या 63 खसरा संख्या 68 कुल खसरा एक रकबा 1.7600 हैक्टर की कृषि भूमि में वादी का पूर्ण हिस्सा तो सही है परंतु वादी का नाम प्रेमनारायण पुत्र महावीर प्रसाद जो वर्तमान जमाबंदी में दर्ज है उसकी जगह वास्तविक नाम परमेश्वर पुत्र महावीर प्रसाद घोषित करने की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी सादर फरमाई जाने की ईशतदुआ की है।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी जरिए सम्मन वास्ते जबाब दावा तलब किया गया। तहसीलदार, सोजत प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा पेश नहीं करना चाहने पर दिनांक 27.05.2024 को जवाब दावा पेश करने का अवसर बंद किया जाता है।

अधिवक्ता वादीगण ने वाद पत्र के संलग्न दस्तावेज जमाबंदी नकल की प्रमाणित प्रतिलिपि संवत् 2075 से 2078, जमाबंदी संवत् 2035 से आज तक की प्रमाणित प्रतिलिपी, आधार कार्ड, राशन कार्ड, शैक्षिक प्रमाणि पत्र आदि दस्तावेजात पेश किए। प्रस्तुत वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की संपुष्टि प्रस्तुत दस्तावेजात एवं प्रस्तुत शपथ पत्रों में अंकित तथ्यों, जमाबंदीयों के होने से पृथक तनकीयात कायमी की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

बहस अधिवक्ता वादी तथा प्रतिवादी तहसीलदार सोजत सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने बहस के दौरान व्यक्त किया कि आराजी वादी के पिता महावीर द्वारा जब आराजी नाबालिक था तो आराजी को परमा नाम से पुकारा जाता था उस समय आराजी के पिता ने प्रेम नारायण पुत्र महावीर प्रसाद जाति ब्रहमण साकिनदेह खातेदार पूर्ण हिस्सा के नाम से रजिस्ट्री संख्या 86 दिनांक 28.05.1990 कुल स्टाम्प कीमत 1930 पर टंकन द्वारा मुद्रित कर खरीददारी की रजिस्ट्रर्ड करवाकर कृषि भूमि को खरीदी गई, उस समय से वादी का नाम प्रेमनारायण करवाकर कृषि भूमि को खरीदी गई, उस समय से वादी का नाम प्रेम नाराण अंकित किया गया जबकि वादी का सही नाम परमेश्वर है। वादी के अन्य सभी दस्तावेज शैक्षिक रिकॉर्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक खाता डायरी वांछित व अन्य दस्तावेजों में भी वादी का नाम परमेश्वर पुत्र महावीर प्रसाद अंकित है। अब राजस्व जमाबंदी सरहद मौजा शिवपुरा तहसील सोजत में वर्तमान खाता संख्या नया 60 पुराना खाता संख्या 63 खसरा संख्या 68 कुल खसरा एक रकबा 1.7600 हैक्टर की कृषि भूमि में परमेश्वर पुत्र महावीर प्रसाद दर्ज करवाना चाहता है। जबाब बहस में तहसीलदार सोजत ने विधि अनुसार अनुतोष प्रदान किये जाने में कोई आपति नही होना जाहिर किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्षों की बहस पर गौर कर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। जिससे यह तथ्य पक्षकारान का स्वीकृत तथ्य है कि वादी राजस्व रेकर्ड में अपने में खातेदारी अधिकार दिनांक 28.05.1990 की बैचान रजिस्ट्री के आधार पर प्राप्त किये है तथा इसी बैचान रजिस्ट्री से नामान्तर स्वीकृत होकर रजिस्ट्रर्ड दस्तावेज में वर्णित पक्षकार व वल्दियत से ही खातेदार दर्ज किया है। वादी उक्त बेचान रजिस्ट्री में वर्णित पक्षकार का नाम व वल्दियत को दुरूस्त करवाने के लिए इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ। जबकि धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 एल आर एक्ट की विधि में किसी रजिस्टर्ड दस्तावेज में हुई त्रूटि को दुरूस्त करने का कोई प्रावधान उल्लेखित नही है। रजिस्टर्ड दस्तावेज में हुई पैन ऑफ स्लिप की त्रूटि को इस

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

Scanned with CamScanner

न्यायालय द्वारा दुरूस्त नही किया जा सकता। किसी भी रजिस्टर्ड दस्तावेज में हुई त्रूटि को शुद्धि दस्तावेज निस्पादित कर या रेक्टीफिकेशन दस्तावेज से ही वांछित अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी दृष्टि में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाना उचित प्रतित होता है।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सहपठित धारा 136 राज0 भू0राजस्व अधिनियम 1956 का खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 27/05/.. को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

Scanned with CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
बइजलाश श्रीमती कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
1. परमेश्वर पुत्र महावीर प्रसाद जाति ब्राहम्ण निंवासी– बिजपुर तहसील सोजत हाल मुकमा पालिवालों का बास पाली जिला पाली।		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि– धारक) सोजत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

राजस्व वाद संख्या :– 129/2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी सोहनलाल जोशी तथा तहसीलदार सोजत प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सहपठित धारा 136 राज0 भू0राजस्व अधिनियम 1956 का खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।मीजान – , मुबलिग – बाबत ––
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

वशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 27/05/22 को जारी की गई।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.

Scanned with CamScanner